झारखण्ड विधान सभा

सत्यमेव जयते

झारखण्ड कृषि उपज बाजार (संशोधन) विधेयक, 2011

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखंड राज्य कृषि उपज बाजार (संशोधन) विधेयक, 2011

[सभा द्वारा यथापारित]

विषय–सूची

प्रस्तावना ।

धाराएँ ।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।
2. झारखंड राज्य कृषि उपज बाजार विधेयक, 2000 (अंगीकृत) की धारा 9 का संशोधन ।
3. झारखंड राज्य कृषि उपज बाजार (संशोधन) अधिनियम , 2007 (झारखंड अधिनियम, 15, 2008) की धारा 27 का संशोधन ।

झारखंड कृषि उपज बाजार (संशोधन) विधेयक 2011

[सभा द्वारा यथापारित]

झारखंड कृषि उपज बाजार (संशोधन) अधिनियम 2007 का संशोधन करने के लिये विधेयक ।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रुप से यह अधिनियमित हो :-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भः-**

   (i) इसका नाम झारखंड कृषि उपज बाजार (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहा जाएगा।

   (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

   (iii) यह तुरन्त प्रभावी होगा।

2. **झारखंड कृषि उपज बाजार अधिनियम 2000 (अंगीकृत) की धारा 9 का संशोधन** - झारखंड कृषि उपज बाजार अधिनियम 2000 (अंगीकृत) (इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के रुप में निर्दिष्ट) की धारा 9 की उपधारा (4) खण्ड (i) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किये जायेंगे -

   9 (4) (i)इस अधिनियम के पश्चात राज्य सरकार द्वारा मनोनीत एक पदाधिकारी बाजार समिति का अध्यक्ष होगा ।

3. **झारखंड राज्य कृषि उपज बाजार (संशोधन) अधिनियम 2007 [झारखण्ड अधिनियम, 15, 2008] की धारा 27 का संशोधन** - उक्त अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (1) खण्ड (i) एवं (ii) में शब्द "दो रुपये" के स्थान पर शब्द 'एक रुपया' प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

यह विधेयक झारखण्ड कृषि उपज बाजार (संशोधन) विधेयक, 2011 दिनांक 3 सितम्बर, 2011 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 3 सितम्बर, 2011 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

यह एक धन विधेयक है ।

(चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह)
अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 58--50--12-9-2011 ।